न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर, जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान नवीन कुमार बनाम ईशान्त आदि

वाद संख्या 145 वर्ष 2022

निर्णय दिनांक :– 24.02.2025

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

1. नवीनकुमार पुत्र मुन्शीराम जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर

–वादी–

बनाम

1. ईशान्त पुत्र महेन्द्र जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर
2. ओमप्रकाश पुत्र शीशपाल जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर
3. कान्ता पुत्री शीशपाल जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर
4. चन्दुलाल पुत्र शीशपाल जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर
5. दलीपसिंह पुत्र सीताराम जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर
6. नन्दा देवी पत्नी मोहनसिंह जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर
7. नरेश पुत्र नेतराम जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर
8. पुनित पुत्र महेन्द्र जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर जिला चूरू
9. प्रताप पुत्र जेठाराम जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर
10. प्रदीपकुमार पुत्र सुरजा उर्फ सुरजाराम जाति अहीर(यादव) नि. बायं त. तारानगर
11. प्रदीपकुमार पुत्र मुंशीराम जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर
12. प्रेमचन्द पुत्र सुरजा उर्फ सुरजाराम जाति अहीर(यादव) नि. बायं तह. तारानगर
13. प्रमेश्वरी पुत्री जेठाराम जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर
14. पवन पुत्र राजेन्द्रप्रसाद जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर
15. बलवान पुत्र राजेन्द्रप्रसाद जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर
16. मदनलाल पुत्र सीताराम जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर
17. मेवा देवी पत्नी स्व. शीशपाल जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तह. तारानगर
18. माना पुत्री जेठाराम जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर
19. मानाराम पुत्र सुरजा उर्फ सुरजाराम जाति अहीर(यादव) नि. बायं तह. तारानगर
20. रेखा पुत्री गंगा पुत्री शीशपाल जाति अहीर(यादव) नि. बायं तहसील तारानगर
21. रणजीत पुत्र जेठाराम जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर
22. रणधीरसिंह पुत्र सीताराम जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर
23. रमेश पुत्र मुन्शीराम जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर मृत
    23/1 सरोज पत्नी रमेश, जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर
    23/2 पंकज पुत्र रमेश, जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर
24. रेशमी पत्नी मुन्शीराम जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर
25. राजबाला पत्नी स्व. महेन्द्र जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर
26. राजेश पुत्र नेतराम जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर
27. रोहिताष पुत्र मोहरसिंह जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर
28. लिछमा पत्नी सीताराम जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर
29. लिलावती पत्नी स्व. नेतराम जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर
30. विनोद कुमार पुत्र मोहरसिंह जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर
31. शर्मिला पुत्री मुन्शीराम जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर
32. सुरेन्द्र पुत्र मुन्शीराम जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर
33. सरला पुत्री सीताराम जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर
34. सावित्री पत्नी राजेन्द्रप्रसाद जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर
35. सोहनलाल पुत्र गंगा पुत्री शीशपाल जाति अहीर(यादव) नि. बायं तह. तारानगर
36. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू
37. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बायं तह. तारानगर जरिये शाखा प्रबंधक

Rajendra
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू

38. भारतीय स्टेट बैंक शाखा साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू
39. पंजाब नेशनल बैंक शाखा तारानगर जिला चूरू

—प्रतिवादीगण—

उपस्थिति :—
1. श्री योगेश चन्द्र जैन एडवोकेट वास्ते वादी
2. श्री महेन्द्र यादव वास्ते प्रतिवादी सं. 06
3. श्री लक्ष्मीनारायण सहारण वास्ते प्रतिवादी सं. 1 ता 4,7,8,10,12,17,19,20,25,26, 29,35
4. श्री पवन योगी वास्ते प्रतिवादी सं. 14, 15, 16, 27, 30, 34
5. राजपैरोकार वास्ते प्रतिवादी संख्या 36 तहसीलदार तारानगर

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

—:निर्णय:—

वादी द्वारा प्रस्तुत दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता 592, ख.नं. 2414/62 तादादी 2.3520 हैक्टेयर, ख.नं. 2416/552 तादादी 3..2118 हैक्टेयर, ख.नं. 2418/624 तादादी 3.8947 हैक्टेयर, ख.नं. 61 तादादी 6.9800 हैक्टेयर, ख.नं. 625 तादादी 9.5217 हैक्टेयर, ख.नं. 626 तादादी 4.1855 हैक्टेयर, ख.नं. 627 तादादी 5.0327 हैक्टेयर, कुल तादादी 35.1784 रोही बायं तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है। यही विवादित कृषिभूमि है। वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 35 एक ही परिवार के है। उक्त कृषिभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 35 की संयुक्त खाते की मुस्तरका एवं अविभाजित कृषिभूमि है जिसमें वादी 1/24 हिस्से का खातेदार काश्तकार है।

वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 35 का खाता शामलाती होने के कारण पक्षकारान का फसल काश्त के समय आपसी मनमुटाव व तनाव रहता है जिस कारण वादी अपने हिस्से की खातेदारी कृषिभूमि का सही प्रकार से उपयोग नहींकर पाता है तथा सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा नहीं उठा सकता है। मौके पर तनाव रहने की वजह से वादी उपरोक्त खसरा नम्बर की कृषिभूमि में से का अव्वल, बारानी एवं दोयम दर्जे के अनुसार अलग से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् खाता विभाजन करवाना चाहता है इसी कारण वादी की ओर से खाता विभाजन का यह दावा श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सह कृषक एवं संयुक्त खातेदार श्रीमती चन्दो देवी पत्नी गणेशाराम जाति यादव निवासी बायं तहसील तारानगर की मृत्यु दिनांक 28.04.2011 को हो चुकी है परन्तु राजस्व रिकार्ड में इस आशय का अंकन नहीं हुआ है तथा उक्त खातेदार का नाम अभी भी राजस्व रिकार्ड में चल रहा है। ऐसी स्थिति में उनको पक्षकार वाद नहीं है। इसके विधिक वारीसान पहले से ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 35 को कई बार कहा व अन्य लोगों से भी कहलवाया कि वे वादी के हिस्से का खाता अलग से विभाजित करवा कर अलग से राजस्व रकम दर्ज करवा देवें तो प्रतिवादीगण सं. 1 ता 35 दिनांक 25.08.2022 को ऐसा करने से बमुकाम ग्राम बायंमें साफ इन्कार हो गये। लिहाजा यही तारीख वाद कारण है व वादाधार वाद वादी को संयुक्त खातेदार होने से हासिल है। आदि—आदि।

इस प्रकार वादी ने वादपत्र पेश कर खाता 592, ख.नं. 2414/62 तादादी 2.3520 हैक्टेयर, ख.नं. 2416/552 तादादी 3..2118 हैक्टेयर, ख.नं. 2418/624 तादादी 3.8947 हैक्टेयर, ख.नं. 61 तादादी 6.9800 हैक्टेयर, ख.नं. 625 तादादी 9.5217 हैक्टेयर, ख.नं. 626 तादादी 4.1855 हैक्टेयर, ख.नं. 627 तादादी 5.0327 हैक्टेयर, कुल तादादी 35.1784 रोही बायं तहसील तारानगर में से अपने हिस्सा की कृषि भूमि बाई मिट्स एण्ड बाई बाउण्डस खाता अलग से विभाजित करने का अनुतोष चाहा।

वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी सं. 1 ता 4, 7,8,10,12,17,19,20,25,26,29, 35 का वकालतनामा अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण सहारण, प्रतिवादी सं. 14, 15, 16,

Jayendra
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू

(3) विवादित कृषिभूमि रोही ग्राम बायं तहसील तारानगर के खसरा नं. 626 मीन तादादी 0.4223 हैक्टेयर भूमि जिसे खाता विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नक्शा में बरंग सफेद से दर्शाया गया है, प्रतिवादी संख्या 16 मदनलाल पुत्र सीताराम जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर के हक हिस्से में रहेगी।

(4) विवादित कृषिभूमि रोही ग्राम बायं तहसील तारानगर के खसरा नं. 626 मीन तादादी 0.7587 हैक्टेयर भूमि जिसे खाता विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नक्शा में बरंग निला से दर्शाया गया है, प्रतिवादी संख्या 06 नन्दादेवी पत्नी मोहनसिंह जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर के हक हिस्से में रहेगी।

(5) विवादित कृषिभूमि रोही ग्राम बायं तहसील तारानगर के खसरा नं. 2414/62 मीन तादादी 1.1760 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2416/552 मीन तादादी 2.4013 हैक्टेयर, 2418/624 मीन तादादी 0.7467 हैक्टेयर कुल 4.3240 हैक्टेयर भूमि जिसे खाता विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नक्शा में बरंग हरा से दर्शाया गया है, प्रतिवादी संख्या 14, 15 व 34 पवन व बलवान पुत्र राजेन्द्र प्रसाद, सावित्री पत्नी राजेन्द्र प्रसाद जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर।

(6) विवादित कृषिभूमि रोही ग्राम बायं तहसील तारानगर के खसरा नं. 2414/62 मीन तादादी 1.1760 हैक्टेयर व 2418/624 मीन तादादी 3.1480 हैक्टेयर भूमि जिसे खाता विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नक्शा में बरंग बैंगनी से दर्शाया गया है, प्रतिवादी संख्या 27 व 30 रोहिताष, विनोद कुमार पुत्र मोहर सिंह जाति अहीर(यादव) निवासी बायं तहसील तारानगर

(9). शेष भूमि अन्य पक्षकारों/खातेदारों के हक में उनके जमाबंदी में दर्ज हिस्सानुसार रहेगी। जिन खातेदारों की भूमि बैंक रहन है वह यथावत बैंक रहन रहेगी। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव व इसके साथ प्रस्तुत नक्शा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

Rajendra
(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू

निर्णय आज दिनांक ....24/02/25.... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर

Rajendra
(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू